INDIA GLYCOLS LIMITED

DNV
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

Plot No. 2-B, Sector - 126, NOIDA-201304, Distt. Gautam Budh Nagar (Uttar Pradesh), Tel. : +91 (120) 6860000, 3090100, 3090200
Fax : +91 (120) 3090111, 3090211, E-mail : iglho@indiaglycols.com, Website : www.indiaglycols.com

IGL/SE/2026-27/17

23rd May, 2026

The Manager (Listing)
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001

Scrip Code: 500201

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051

Symbol: INDIAGLYCO

Sub: Submission of Newspaper clippings regarding Notice for transfer of equity shares to the IEPF Authority

Dear Sir,

We are enclosing herewith copies of newspaper clippings of the Notice published in the following newspapers on 23rd May, 2025 in respect of proposed transfer of Equity Shares of the Company for which dividend has not been claimed for 7 (Seven) consecutive years to the Investor Education and Protection Fund Authority in pursuance to the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended:

1. **Financial Express** (All Editions) in English; and
2. **Uttar Ujala** (Nainital Edition) in Hindi.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,
For **India Glycols Limited**

ANKUR JAIN

Ankur Jain
Head (Legal) & Company Secretary

Encl : A/a

PTL Enterprises Ltd.

Regd. Office: 3rd floor, Areekal Mansion, Near Manorama Junction, Panampilly Nagar, Kochi- 682036
CIN – L25111KL1959PLC009300, Website – www.ptlenterprise.com, Email – investors@ptlenterprise.com;
Tel. : (0124) – 4969101, 4966314

SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SECURITIES

Notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated January 30, 2026, a Special Window has been opened for a period of one year, from February 5, 2026 to February 4, 2027, for transfer and dematerialisation of physical securities.

This facility is available to the lodgement of transfer deeds that were executed prior to April 1, 2019 and (a) were not lodged for transfer, or (b) were lodged for transfer but were rejected/ returned/ not attended to due to deficiency in the documents/ process/ or otherwise.

Accordingly, eligible security holders holding valid transfer deed executed prior to April 1, 2019 are encouraged to lodge the same along with the requisite documents including the Original Security Certificate(s), with the Company's Registrar and Transfer Agent i.e., Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055; Contact No.: 011-42541234/ 23541234; Email: rta@alankit.com.

Please note that the securities so transferred shall be mandatorily credited to the transferee only in demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. During the said lock-in period, such securities shall not be transferred/ lien-marked/ pledged.

For **PTL Enterprises Ltd.**
Sd/-
Jyoti Upmanyu
Company Secretary & Compliance Officer

Date : **May 22, 2026**
Place: **Gurugram**

GAYATRI SUGARS LIMITED

GAYATRI
Regd. & Corp. Office: 6-3-1090, B-2, T.S.R. Towers, Rajbhavan Road, Somajiguda, Hyderabad -500 082,Telangana, India. E mail:compliance.gayatrisugars@gayatri.co.in
CIN: L15421TG1995PLC020720

Statement of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2026

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2026 (Audited)	Quarter ended 31.12.2025 (Un-audited)	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Year Ended 31.03.2026 (Audited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1.	Total Income from Operations	24,380.58	8,116.55	19,525.57	36,638.30	33,610.84
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4,650.38	(568.34)	3,885.40	101.14	107.25
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	4,650.38	(568.34)	3,885.40	101.14	107.25
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	4,650.38	(568.34)	3,885.40	101.14	107.25
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	21,198.06	(577.65)	3,880.60	16,620.90	70.03
6.	Equity Share Capital (Face value of ₹10/- each)	7,430.05	7,430.05	7,430.05	7,430.05	7,430.05
7.	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				(15,796.69)	(15,901.94)
8.	Earnings Per Share (before extra ordinary items) (of ₹ 10/- each)					
	Basic (In Rs.) :	6.26	0.76	5.29	0.14	0.16
	Diluted (*antidilutive)(in Rs.) :	4.45	*(0.76)	3.75	0.10	0.11

Note:
1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 21 May, 2026
2. The above is an extract of detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website.i.e, BSE Limited at www.bseindia.com and on Company website: www.gayatrisugars.com

By Order of the Board
For Gayatri Sugars Limited
Sd/-
(T. Sarita Reddy)
Managing Director
(DIN: 00017122)

Place: Hyderabad
Date : 21.05.2026

KENNAMETAL INDIA LIMITED

KENNAMETAL
CIN: L27109KA1964PLC001546
Registered Office: 8/9th Mile, Tumkur Road, Bangalore-560073
Email: in.investorrelation@kennametal.com, Website: https://in.investors.kennametal.com/
Telephone: 080 43281444, Fax: 080 28390129

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, (the **'Act'**), read together with Rule 20 and 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulations 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India (SS-2) read with the guidelines prescribed by Ministry of Corporate Affairs (**"MCA"**) for holding general meetings / conducting postal ballot process through e-voting vide various circulars issued from time to time (referred to as **"MCA Circulars"**) and any other applicable laws and regulations, and including any statutory modification(s) or amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, Kennametal India Limited (the **"Company"**) is seeking approval from the members by way of Resolutions for the following purposes by way of postal ballot through remote e-voting which is set out in detail in the Postal Ballot Notice of the Company:

Sl. No.	Description of the Resolutions	Type of Resolutions
1	Approval of Material Related Party Transactions with Kennametal Inc., USA	Ordinary Resolution
2	Approval of Material Related Party Transactions with Kennametal Europe GmbH, Switzerland	Ordinary Resolution

In accordance with the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of the postal ballot notice through email along with statement setting out material facts on Friday, May 22, 2026 to all the members who have registered their e-mail addresses with the Company or the Registrar and Share Transfer agent (RTA) i.e., Integrated Registry Management Services Private Limited or Depository Participants and whose name appeared on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, May 8, 2026 being the cut-off date. The postal ballot notice is available on the Company's website at https://in.investors.kennametal.com/ and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com. Members can also update their email address and mobile number by following the procedure given in the Postal Ballot notice.

Eligible shareholders have been served the Postal Ballot Notice by email only and physical copies of the postal ballot notice along with postal ballot forms and pre-paid business reply envelopes are not sent in accordance with the applicable circulars promulgated by the MCA. The communication of assent or dissent of members would take place only through remote e-voting.

Any person who is not member of the Company as on cut-off date, i.e., Friday, May 8, 2026 should treat this notice for information purposes only. The Members are requested to cast their vote through remote e-voting only. The Company has engaged the service of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its members.

Details of Postal ballot schedule:

Sl. No.	Particulars	Schedule
1.	Cut-off date for identification of voting rights of the members	Friday, May 8, 2026
2.	Date and time of commencement of remote e-voting	Saturday, May 23, 2026 at 9:00 AM IST
3.	Date and time of end of remote e-voting	Sunday, June 21, 2026 at 5:00 PM IST
4.	Submission of report by the Scrutinizer	on or before Tuesday, June 23, 2026
5.	Date of declaration of results of e-voting	on or before Tuesday, June 23, 2026

Pursuant to SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode can vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email ID in their demat accounts to access e-Voting facility. Login method for individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode and for non-individual shareholders are provided in the Postal Ballot Notice.

Voting rights shall be reckoned on the basis of the paid-up value of equity shares registered in the name of Members as on Friday, May 8, 2026. Once the vote on resolution is cast by the shareholder, he/she/it shall not be allowed to change it subsequently. Shareholders are requested to note that e-voting shall not be allowed beyond 5:00 PM IST on Sunday, June 21, 2026.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Vijayakrishna K T, Practising Company Secretary (FCS No.: 1788, CP No.: 980) as Scrutinizer for the Postal Ballot process.

The resolutions, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on Sunday, June 21, 2026, i.e., the last date of remote e-voting process. The results of the remote e-voting by Postal ballot (along with Scrutinizer's report) will be announced by the Chairman or such other person authorised by him on or before Tuesday, June 23, 2026. The said results along with the Scrutinizer's Report will also be placed on the Company's website at https://in.investors.kennametal.com/ besides being communicated to the Stock Exchange, Depositories and RTA.

If you have any queries or issues, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800 21 09911.

For **Kennametal India Limited**
Sd/-
Anupriya Garg
Legal Counsel (Region),
Company Secretary & Compliance Officer

Date : May 22, 2026
Place : Bengaluru

THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED

IHCL
Corporate Identification No. (CIN) - L74999MH1902PLC000183
Registered Office: Mandlik House, Mandlik Road, Mumbai 400 001
Tel: 91 22 6137 1637
E-mail: investorrelations@ihcltata.com Website: www.ihcltata.com

PUBLIC NOTICE - 125th ANNUAL GENERAL MEETING

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and the Rules made thereunder read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 03/2025 dated September 22, 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars'), Notice is hereby given that the 125th Annual General Meeting ('AGM') of The Indian Hotels Company Limited ('the Company') will be held on **Tuesday, June 30, 2026, at 10:30 a.m. (IST)** through Video Conference ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. The VC/OAVM facility is being provided by National Securities Depository Limited ('NSDL').

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circulars dated May 12, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being October 3, 2024, (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), the requirement of sending physical copies of the Integrated Annual Report has been dispensed with. Accordingly, the Notice of the 125th AGM along with the link for the Integrated Annual Report of the Company for FY 2025-26 will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agents - MUFG Intime India Private Limited ('RTA')/Depositories/Depository Participants (DPs).

Pursuant to Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, (SEBI Listing Regulations) a letter providing a web-link for accessing the Integrated Annual Report will be sent to those Members who have not registered their E-mail address with the Company/RTA/Depositories/ DPs. The Company shall send a physical copy of the Integrated Annual Report to those Members who specifically request for the same at investorrelations@ihcltata.com mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID.

Further, the Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report for FY 2025-26 will also be available on the website of the (i) Company at www.ihcltata.com/investors ii) Stock Exchanges where the securities of the Company are listed, i.e. BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and iii) NSDL at www.evoting.nsdl.com

Members can attend and participate in the AGM **ONLY** through the VC/OAVM facility. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The detailed instructions for joining the AGM will provided in the Notice convening the AGM.

Process for one time registration of e-mail addresses to receive the E-Notice of AGM and the Integrated Annual Report for FY 2025-26 and cast votes electronically

Members (holding shares in electronic or physical form) who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same to receive the Notice of AGM and the Integrated Annual Report electronically and to receive login ID and password for e-Voting before 5:00 p.m. (IST) on **Friday, June 19, 2026,** by following the process mentioned below:

i. Visit the https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html.
ii. Select the Name of the Company from the dropdown: **<Name of the Company>**;
iii. Enter the DP ID & Client ID / Folio Number, Name of the Member and PAN details. Members holding shares in the physical form need to additionally enter one of the share certificate(s) numbers;
iv. Enter your Mobile No. and E-mail address and click on the Continue button;
v. The system will send OTP on Mobile and e-mail address;
vi. Upload a self-attested copy of your PAN card and Address proof viz Aadhaar Card, passport or front and back side of share certificate in case of Physical folio;
vii. Enter the OTP received on your Mobile and e-mail address;
viii. The system will then confirm the e-mail address for receiving this Notice of AGM.

For Permanent Registration of email addresses: Members are requested to register their email address with their concerned DPs in respect of shares held in electronic form and with the Company/RTA for holding shares in physical form by submitting Form ISR-1 duly filled and signed by the Member(s). To know about the registration process, please visit website of RTA at https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html

Those Members who have already registered their e-mail address are requested to keep their e-mail address updated/validated with their DPs/RTA to enable servicing of Notice/documents/Integrated Reports and other communications electronically, in future.

Remote E-voting

The Company is pleased to provide remote e-voting facility through National Securities Depository Limited before and/ during the AGM to all its members to cast their votes electronically on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Detailed procedure for remote e-voting before and/ during the AGM will be provided in the Notes to the Notice of the AGM.

Record date and Dividend

Members may note that the Board of Directors at its Meeting held on May 11, 2026, have recommended a dividend of ₹ 3.25/- per Equity Share of ₹ 1/- each (325%) for the Financial Year ended March 31, 2026. The dividend, if declared at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source ('TDS') on and from **Friday, July 3, 2026** by way of electronic mode only. The Board of Directors has fixed **Tuesday, June 23, 2026**, as the Record Date for determining the Members entitled to receive the dividend for FY 2025-26, if approved at the AGM.

Updation of Bank Account

As per SEBI directives, with effect from November 18, 2025, payment of dividends shall be processed in electronic mode only. Payment through dividend warrants or cheques has been discontinued.

Further members are requested to note that payment of dividends to shareholders holding shares in physical form shall be made only upon folio being KYC compliant i.e. PAN, contact details including mobile no, bank account details and specimen signature are registered with the Company/RTA. Shareholders are therefore requested to update their bank details and ensure that their folios are KYC compliant in terms of SEBI/ Master Circular no. SEBI/H0/38/13/(4)2026-MIRSD-POD/1/4298/2026 dated February 6, 2026, read with SEBI Listing Regulations.

For Shares held in electronic form Members may please note that their bank details as furnished by the respective DPs to the Company will be considered for remittance of dividend as per the applicable regulations of the DPs and the Company will not be able to accede to any direct request from such Members for change/addition/deletion in such bank details. Accordingly, Members holding shares in electronic form are requested to ensure that their Electronic Bank Mandate is updated with their respective DPs by Friday, June 19, 2026.

Further, please note that instructions, if any, already given by Members in respect of shares held in physical form will not be automatically applicable to the dividends paid on shares held by the same Member in electronic form.

Tax on Dividend

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct TDS from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act, 2025 ('the IT Act'). To enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form, with the Company / RTA by updating at link: https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-121-41.html on or before **Friday, June 19, 2026** in order to enable the Company to determine and deduct appropriate TDS / withholding tax rate. For the detailed process, please click here: https://ir.ihcltata.com/Tax-on-Dividend-Communication-25-26.pdf

For The Indian Hotels Company Limited
Sd/-
MELISA ALVA
Senior Vice President & Company Secretary
ACS 34774

Place: Mumbai
Date : May 23, 2026

INDIA GLYCOLS LIMITED

CIN: L24111UR1983PLC009097
Regd Off:- A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244713, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand.
Phone: +91 5947 269000/269500, **Fax:** +91 5947 275315/269535
E-mail: compliance.officer@indiaglycols.com; **Website:** www.indiaglycols.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund Authority

Shareholders of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 including any statutory modifications or re-enactment thereof, for the time being in force ("the Rules"), the Company, inter-alia, is required to transfer the shares in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for a period of 7 (seven) consecutive years or more, to the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority") in the prescribed manner. Hence, all equity shares in respect of which dividend from financial year 2018-19 remains unpaid or unclaimed for 7 (Seven) consecutive years are liable to be transferred to IEPF Authority as per the Rules.

In compliance with the said Rules, the Company has communicated to the concerned shareholders individually at their latest available addresses whose dividend has remained unpaid or unclaimed for 7 (Seven) consecutive years or more for taking appropriate actions. Full details of such shareholders including their names, folio numbers and/or DP ID - Client ID and the number of shares due for transfer to IEPF Authority has been uploaded on Company's website www.indiaglycols.com (web-link: https://www.indiaglycols.com/compliances/). Shareholders are requested to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Authority.

Shareholders who have not claimed their dividends for the year 2018-19 and onwards are requested to claim the unclaimed dividend on or before 10th September, 2026. In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before the above date, the Company shall with a view to adhering with the requirements of the Rules, where the shares are held on physical form, proceed to issue new share certificate(s) in lieu of the Original share certificate(s) held by them for the purpose of dematerializing and transfer such shares to IEPF Authority, without giving any further notice. Upon such issue, the Original share certificate(s) which are registered in their name shall stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Such shareholders may also note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of new share certificate(s). In case the share are held in Demat form, the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares lying in the concerned demat account in favour of IEPF authority.

Please take note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend(s) and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. However, the concerned shareholders can claim back the unclaimed dividend(s) and the shares transferred to the IEPF Authority including all benefits, if any, accruing on such shares, from IEPF Authority in accordance with the procedure and on submission of such documents as prescribed under the Rules. Shareholders can also refer to the details available on www.iepf.gov.in. For further information/clarification on the above matter, shareholders can write to the Company Secretary at Company's Head office at Plot no. 2-B, Sector-126, Noida-201304, District Gautam Budh Nagar, U.P. (e-mail: compliance.officer@indiaglycols.com) or to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s MCS Share Transfer Agent Limited, 179-180, 3rd Floor, DSIDC Shed, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi- 110020 (e-mail: admin@mcsregistrars.com).

For India Glycols Limited
Sd/-
Ankur Jain
Company Secretary

Place : Noida
Date : 22.05.2026

TATA POWER

TATA
THE TATA POWER COMPANY LIMITED
Corporate Identity No. (CIN): L28920MH1919PLC000567
Regd. Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai 400 001.
Tel: +91 22 66658282 **E-mail:** tatapower@tatapower.com **Website:** www.tatapower.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Investor Education and Protection Authority (IEPFA) has launched a Second 100-Day Campaign titled 'Saksham Niveshak', aimed at enhancing investor awareness, encouraging shareholders to update their KYC details and facilitating the claim of unpaid/unclaimed dividends and shares before their transfer to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

In line with this initiative, the Company through its various communications continues to urge the shareholders to claim their unpaid/unclaimed dividends by updating their KYC details (including PAN, bank account, contact information, nomination or signature). Shareholders are requested to complete the steps outlined below:

Shares held in	Required Action
Demat form	1. Update KYC details with your Depository Participant, including bank account number, bank name and branch, IFSC code, MICR, and nomination. 2. Submit a self-attested copy of the Client Master List (CML).
Physical form	Submit: 1. Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3 or SH-13 (Nomination Form), duly filled as per instructions, along with supporting KYC documents available at KYC Downloads. 2. Original cancelled cheque bearing your name. 3. Other supporting documents, if applicable. These forms are also available at **https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html**

Documents may be submitted to the Company or its Registrar to an Issue and Share Transfer Agent (RTA) at the addresses below:

Company	The Nodal Officer, The Tata Power Company Limited Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai 400 001 **Tel No:** +91 22 6665 8282 **Email:** investorcomplaints@tatapower.com / iepf@tatapower.com
RTA	MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 **Tel No.:** +91 810 811 8484 **Website: www.in.mpms.mufg.com** **Raise online service request at:** **https://web.in.mpms.mufg.com/helpdesk/Service_Request.html**

For **The Tata Power Company Limited**
Sd/-
Vispi S. Patel
Company Secretary

Place: Mumbai
Dated: May 22, 2026

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

S CHAND AND COMPANY LIMITED

S. CHAND
CIN: L22219DL1970PLC005400
Registered Office & Corporate Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044, India
Email: investors@schandgroup.com | **Website:** www.schandgroup.com | **Phone:** +91 11 49731800 | **Fax:** +91 11 49731801

EXTRACTS OF THE AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(₹ in millions)

S. No.	Particulars	Standalone Quarter ended 31-Mar-26 Audited	Standalone Quarter ended 31-Dec-25 Unaudited	Standalone Quarter ended 31-Mar-25 Audited	Standalone Year ended 31-Mar-26 Audited	Standalone Year ended 31-Mar-25 Audited	Consolidated Quarter ended 31-Mar-26 Audited	Consolidated Quarter ended 31-Dec-25 Unaudited	Consolidated Quarter ended 31-Mar-25 Audited	Consolidated Year ended 31-Mar-26 Audited	Consolidated Year ended 31-Mar-25 Audited
1	Total Income from operations	2,101.60	291.99	1,867.34	3,104.71	3,099.16	5,501.58	1,063.40	4,777.40	8,150.46	7,326.97
2	Profit/(loss) before exceptional items and tax	679.26	(224.72)	572.77	211.04	312.53	2,303.03	(387.05)	1,931.59	1,024.48	928.36
3	Profit/(loss) before tax	624.01	(238.52)	483.87	141.99	223.63	2,287.67	(404.24)	1,931.59	991.93	928.36
4	Profit/(loss) for the period/year (after tax)	452.36	(172.94)	350.13	112.52	157.37	1,694.94	(286.98)	1,415.66	731.36	602.32
5	Total comprehensive income for the period /year (comprising profit/(loss) and other comprehensive income for the period/year)	454.16	(171.70)	348.06	120.05	153.36	1,697.39	(279.76)	1,407.17	747.23	595.12
6	Equity Share capital	176.36	176.36	176.25	176.36	176.25	176.36	176.36	176.25	176.36	176.25
7	Reserves and surplus (excluding Revaluation Reserves) of the previous year	NA	NA	NA	8,398.88	8,416.09	NA	NA	NA	10,364.49	9,726.54
8	Earnings/(loss) per share (in ₹)										
	- Basic	12.82	(4.90)	9.93	3.19	4.47	48.17	(7.90)	40.26	21.54	18.04
	- Diluted	12.82	(4.90)	9.93	3.18	4.46	48.16	(7.90)	40.23	21.54	18.03

Notes:
1. Board of Directors of the Company have **declared Interim dividend of INR 4.00 (80%) per equity share** of face value of INR 5.00/- each for the financial year 2025-26.
2. The above is an extract of detailed format of Quarterly and Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and yearly Financial Results are available on the Company's website www.schandgroup.com and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and The National Stock Exchange of India Limited (**www.nseindia.com**).
3. The Audited standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2026 were reviewed by the Audit Committee at its meeting held on May 22, 2026 and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on May 22, 2026.

For and on behalf of the Board of Directors
S Chand And Company Limited

Sd/-
Himanshu Gupta
Managing Director
DIN: 00054015

Date: May 22, 2026
Place: New Delhi

आईआईटी रुड़की का उन्नत ऊर्जा भंडारण तंत्र अहम उपलब्धि

उन्नत लिथियम-आयन बैटरी इलेक्ट्रोड प्रौद्योगिकियों हेतु दो हस्तांतरण को एमओयू

उत्तर उजाला ब्यूरो

देहरादून/रुड़की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने प्रोफेसर अंजन सिल द्वारा विकसित अभिनव लिथियम-आयन बैटरी इलेक्ट्रोड प्रौद्योगिकियों हेतु दो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत के उन्नत ऊर्जा भंडारण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों प्रौद्योगिकियों का आगे के विकास एवं व्यावसायीकरण हेतु कैथियन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरण किया गया है।

हस्तांतरित की गई दोनों प्रौद्योगिकियों के शीर्षक रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी में उच्च शक्ति एवं उच्च ऊर्जा अनुप्रयोग हेतु एक नवीन इलेक्ट्रोड कॉम्पोजिट और लिथियम- आयन बैटरी हेतु एक उच्च-प्रदर्शन कॉम्पोजिट इलेक्ट्रोड हैं। ये प्रौद्योगिकियां रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरियों के विद्युत-रासायनिक प्रदर्शन, ऊर्जा घनत्व, चार्जिंग क्षमता तथा समग्र दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। इन नवाचारों से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुशल एवं सतत ऊर्जा भंडारण समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलने की अपेक्षा है। इस अवसर पर दोनों प्रौद्योगिकियों के आविष्कारक प्रोफेसर अंजन सिल ने कहा कि इन प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण प्रयोगशाला-स्तरीय अनुसंधान को प्रभावशाली औद्योगिक अनुप्रयोगों में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा उद्देश्य उन्नत इलेक्ट्रोड सामग्रियों का विकास करना रहा है, जो उच्च-प्रदर्शन एवं विश्वसनीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की बढ़ती मांग को पूरा कर सकें। कैथियन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. हरि राज ने इस सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें इन उन्नत लिथियम-आयन बैटरी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण हेतु आईआईटी रुड़की के साथ सहयोग करके प्रसन्नता हो रही है। इन नवाचारों में बैटरी प्रदर्शन को बेहतर बनाने तथा तीव्र गति से विकसित हो रहे ऊर्जा भंडारण एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्रों को समर्थन देने की मजबूत क्षमता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के प्रायोजित अनुसंधान एवं औद्योगिक परामर्श (एसआरआईसी) के अधिष्ठाता प्रोफेसर विवेक के. मलिक ने कहा कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आईआईटी रुड़की के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। ऐसे सहयोग अत्याधुनिक अनुसंधान को वास्तविक समाधान में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं तथा औद्योगिक प्रगति एवं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर कमल के. पंत ने कहा कि आईआईटी प्रभावशाली अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा उद्योग- शैक्षणिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन बैटरी प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण रणनीतिक एवं उभरते क्षेत्रों में नवाचार को समर्थन देने के प्रति संस्थान के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

इन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को आईआईटी रुड़की के एसआरआईसी के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ द्वारा सुगम बनाया गया, जो नवाचार, उद्यमिता तथा उद्योग सहभागिता को बढ़ावा देने के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

गंगनहर में नॉनवेज बिरयानी फेंकने वाले आरोपियों पर मुकदमा

हरिद्वार। ज्वालापुर क्षेत्र में गंगनहर में नॉनवेज बिरयानी फेंकने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। हिंदू क्रांति दल के कार्यकर्ता चरनजीत पाहवा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 18 मई की रात दुर्गा विहार क्षेत्र के पास दो युवक बाइक पर नीले रंग का ड्रम लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि ड्रम में नॉनवेज बिरयानी भरी हुई थी, जिसे दोनों गंगनहर में डाल रहे थे। आसपास मौजूद लोगों ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों युवक ड्रम मौके पर छोड़कर फरार हो गए। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि दोनों युवक पहले भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे हैं और यह धार्मिक आस्था से जुड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास है। कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री उनियाल ने किया सीएचसी का औचक निरीक्षण

चिकित्सक मिले मुस्तैद, मरीजों को बेहतर उपचार व साफ-सफाई पर दिया जोर

उत्तर उजाला ब्यूरो

देहरादून। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रायपुर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सभी चिकित्सक उपस्थित मिले। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी गहन निरीक्षण किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले पर्चा काउंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल की ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, वार्ड, इमरजेंसी वार्ड तथा साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। मंत्री ने अस्पताल पहुंचे मरीजों से भी बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। इसी क्रम में उन्होंने शुक्रवार को संचालित ईसीजी ओपीडी का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सकों को अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करना चाहिए, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि मरीजों को दवाइयां बाहर से खरीदने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को उच्च स्तर पर बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। मंत्री ने कहा कि मरीजों को सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान सीएचसी रायपुर की निर्माणाधीन नई बिल्डिंग का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से क्षेत्रवासियों को आधुनिक एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अत्याधुनिक संसाधनों और सुव्यवस्थित चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से अस्पताल की कार्यक्षमता में और अधिक सुधार आएगा।मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को समय पर उपचार, दवाइयां तथा आवश्यक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि आमजन को राहत मिल सके।

दक्ष मंदिर जाने की बात कह घर से निकली किशोरी लापता

उत्तर उजाला ब्यूरो

हरिद्वार। कनखल क्षेत्र से 16 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। घर से निकलने के कुछ घंटे बाद किशोरी ने फोन कर परिवार को बताया कि वह कहीं जा रही है और उसे तलाश न किया जाए। फोन पर एक युवक की आवाज सुनाई देने के बाद परिवार की चिंता और बढ़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। जगजीतपुर निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी 21 मई की सुबह करीब साढ़े नौ बजे घर से निकली थी। उसने परिवार को बताया था कि वह कनखल स्थित दक्ष मंदिर में दर्शन करने जा रही है। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसके मोबाइल पर कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। सुबह करीब 11 बजकर 14 मिनट पर किशोरी के मोबाइल से उसकी मां के फोन पर कॉल आई। कॉल पर किशोरी ने कहा कि वह कहीं जा रही है और उसे ढूंढने की कोशिश न की जाए। परिजनों के अनुसार, इसी दौरान फोन पर एक युवक की आवाज भी सुनाई दी, जिसने भी तलाश न करने की बात कही। इसके बाद मोबाइल फोन बंद हो गया। कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के निर्देश

स्वास्थ्य महानिदेशक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को तैयारी सुनिश्चित करने को कहा

उत्तर उजाला ब्यूरो

देहरादून। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डा. सुनीता टम्टा द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु व्यापक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए है।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा सभी जनपदों को प्रदेश में संभावित डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत जिला स्तर पर सभी जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समन्वय बैठक आयोजित किए जाने के लिए निर्देशित किया है, ताकि स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, नगर निकाय, ग्राम पंचायतों तथा अन्य संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए डेंगू की रोकथाम की कार्यवाही की जा सके। डा. टम्टा द्वारा निर्देशित किया गया कि डेंगू, चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए जल जमाव के स्रोतों को हटाने, आवश्यकतानुसार लार्वीसाइड छिड़काव एवं अन्य निरोधात्मक गतिविधियां निरंतर संचालित की जायें। बुखार के रोगियों की प्रारंभिक पहचान हेतु व्यापक फीवर सर्विलांस अभियान चलाया जाएगा तथा लक्षणों के आधार पर डेंगू की आशंका होने पर तत्काल जांच सुनिश्चित की जाए। डेंगू रोगियों की पुष्टि होने पर रोगी के घर के आसपास अनिवार्य रूप से स्प्रे, फोकल स्प्रे कराया जाएगा। साथ ही जनपदीय रैपिड रिस्पॉन्स टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सघन फीवर सर्विलांस एवं स्रोत नियंत्रण गतिविधियां संचालित की जाएं। नगर निगम, नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यकतानुसार लार्वीसाइड छिड़काव एवं फॉगिंग गतिविधियां भी संचालित की जाए।

जिला चिकित्सालयों, बेस चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेजों में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पृथक डेंगू आइसोलेशन वार्ड, मच्छरदानी युक्त पर्याप्त बेड, स्टैंडर्ड केस मैनेजमेंट एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। प्रत्येक डेंगू आइसोलेशन वार्ड हेतु नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। डेंगू एवं चिकनगुनिया रोगियों के समुचित उपचार हेतु चिकित्सक, नर्स एवं अन्य स्वास्थ्य मानव संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गंभीर डेंगू रोगियों के उपचार हेतु प्लेटलेट्स की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त डेंगू जांच केंद्रों पर ईएलआईएसए जांच किट एवं अन्य आवश्यक जांच सामग्री की समयबद्ध उपलब्धता निरंतर सुनिश्चित की जाए। डेंगू से बचाव, मच्छरों की रोकथाम एवं स्वच्छता संबंधी उपायों के प्रति लोगों में व्यापक जागरूकता की जाये।

ब्रह्मकमल शक्ति संस्था ने किया मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित

देहरादून। डीएवी इंटर कॉलेज प्रेमनगर में ब्रह्मकमल शक्ति संस्था द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से किया गया।

इस अवसर पर कौलागढ़, प्रेमनगर, पण्डितवाड़ी, बल्लूपुर एवं कैंट स्थित 5 विद्यालयों के 2026 में हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण मेधावी छात्र-छात्राओं, उनके परिजनों, गुरुजनों एवं प्रधानाचार्यों को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कुल 289 छात्र-छात्राओं, 180 अभिभावक एवं 27 गुरुजनों व प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया गया, जिससे समारोह का वातावरण उत्साह, गर्व एवं प्रेरणा से ओत-प्रोत रहा।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष अभिनव थापर ने कहा कि शिक्षा केवल सफलता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक सशक्त एवं विकसित समाज की नींव है। उन्होंने कहा कि आज के मेधावी युवा ही आने वाले समय में उत्तराखंड एवं देश की दिशा और दशा तय करेंगे। मेधावी युवा समाज, प्रदेश व राष्ट्र का भविष्य है। समारोह में खण्ड विकास अधिकारी कुंदन सिंह, प्रधानाचार्य विजय सिंह राजपूत, संस्था उपाध्यक्ष अमिता आहूजा, शालिनी कुड़ियाल, शिवानी घेटवाल प्रधानाचार्य, पूनम नेगी प्रधानाचार्य गोरखा मिलिटरी इंटर कॉलेज, अनीता जोशी प्रधानाचार्य भवानी बालिका इंटर कॉलेज बल्लूपुर, डीएवी प्रेमनगर विद्यालय के 1969 बैच के पूर्व छात्र अर्जुन कोहली, अवदेश कुमार आदि थे।

सूचना

मेरे आधार कार्ड संख्या 635669115947 में त्रुटिवश मेरा नाम मीरा देवी (MEERA DEVI) व जन्म तिथि 01-01-1955 गलत अंकित हुई है। मेरा सही व वास्तविक नाम मोतिमा देवी (MOTIMA DEVI) व सही जन्मतिथि 10-11-1959 है, जो मेरे पति श्री सुजान सिंह के पेंशन दस्तावेजों में अंकित है। **मोतिमा देवी पत्नी श्री सुजान सिंह निवासी ग्राम नगला, उप तहसील व थाना नानकमत्ता, (ऊधमसिंह नगर) उत्तराखण्ड**

गंगा दशहरा पर हरिद्वार में ट्रैफिक प्लान जारी भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित

वीकेंड और स्नान पर्व को देखते हुए रूट डायवर्जन व पार्किंग व्यवस्था तय

उत्तर उजाला ब्यूरो

हरिद्वार। श्री गंगा दशहरा स्नान पर्व और वीकेंड के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस ने 23 से 25 मई 2026 तक के लिए विस्तृत यातायात प्लान जारी किया है। पुलिस के अनुसार स्नान पर्व के दौरान यातायात दबाव बढ़ने पर भारी वाहनों को शहर की सीमाओं पर ही रोक दिया जाएगा।

एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और पंजाब की ओर से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग रूट और पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। सामान्य स्थिति में वाहनों को गुरुकुल कांगड़ी होते हुए शंकराचार्य चौक से शहर में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि अधिक दबाव होने पर नगलाइमरती से डायवर्जन कर बैरागी कैंप पार्किंग की ओर भेजा जाएगा।

देहरादून और ऋषिकेश से आने वाले वाहनों के लिए नेपाली फार्म-रायवाला मार्ग निर्धारित किया गया है, जहां लालजीवाला और पंतद्वीप पार्किंग का उपयोग होगा। वहीं नजीबाबाद और मुरादाबाद की ओर से आने वाले वाहनों को चिड़ियापुर-श्यामपुर मार्ग से लाया जाएगा। पुलिस ने बताया कि चीला मार्ग को केवल एक्जिट के लिए प्रयोग किया जाएगा और आवश्यकतानुसार नहर पटरी मार्ग का भी उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा ऑटो और विक्रम वाहनों के लिए भी विशेष डायवर्जन प्लान लागू रहेगा।

उत्तराखंड के पहले एआई समर एरीना का डीजी सूचना ने किया शुभारंभ

उत्तर उजाला ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड में बच्चों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक अनूठी पहल करते हुए मॉल ऑफ देहरादून में एमओडी एआई समर एरीना का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड के पहले एआई समर कैंप का उद्घाटन सूचना विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने किया। यह विशेष आयोजन 22 मई से 28 जून तक चलेगा, जिसमें बच्चों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और नई तकनीकों को समझने और अनुभव करने का अवसर मिलेगा।

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि आज की पीढ़ी को भविष्य की तकनीकों से परिचित कराना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और नवाचार की सोच को विकसित करते हैं। उन्होंने इस पहल को उत्तराखंड के लिए एक सकारात्मक और दूरदर्शी कदम बताया। एमओडी एआई समर एरीना में बच्चों के लिए कई आकर्षक और सहभागितापूर्ण गतिविधियाँ तैयार की गई हैं। इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित एआई डॉग बना हुआ है, जिसने हाल ही में दिल्ली के मेले में भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। यह स्मार्ट रोबो डॉग बच्चों की आवाज़ और गतिविधियों पर प्रतिक्रिया देता है, जिससे बच्चे तकनीक और इंसानों के बीच संवाद को बेहद रोचक तरीके से समझ पा रहे हैं। इसके अलावा एआई होलोबॉक्स, स्केच बॉट और स्वयं निर्माण प्रयोगशाला जैसी गतिविधियाँ बच्चों को तकनीक को केवल देखने नहीं, बल्कि उसे स्वयं अनुभव करने और समझने का अवसर देती हैं।

स्वयं निर्माण प्रयोगशाला में बच्चे खुद कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल और रोबोट बनाकर सीख रहे हैं। पैसिफिक ग्रुप के प्रबंध निदेशक अभिषेक बंसल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों को भविष्य की दुनिया के लिए तैयार करना और उनकी जिज्ञासा को नई दिशा देना है। यह आयोजन सीख, मनोरंजन और नवाचार का अनूठा संगम बनकर उभर रहा है। इस मौके पर पत्रकारों को माल की असिस्टेंट जनरल मैनेजर देविका सिंह तिवारी ने संबोधित किया

कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद नैनीताल स्थित हल्द्वानी विज्ञप्ति का प्रारूप

उत्तराखण्ड परियोजना विकास निर्माण निगम लिमि. के पत्र संख्या 177/पी.एम.-03/पी.आई.यू. जे./2025-26 दिनांक 04 अप्रैल 2026 के क्रम में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग नैनीताल के पत्र संख्या 211/भू.खनि.वि./ खनन /2026-27 दिनांक 06 मई 2026 के द्वारा ग्राम अमृतपुर-जमरानी मोटर मार्ग के 1.050 कि.मी. से 1.270 किमी. (डेहरा क्षेत्र) में जमरानी बांध परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण से उत्सर्जित मलवे को ग्राम अमृतपुर स्थित डम्पिंग जोन में एकत्रित किया गया है का स्थलीय निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान पाया गया कि डम्पिंग जोन में कुल 75.445 घनमीटर अर्थात 1.35,801 टन मलवा/आर.बी.एम. एकत्रित पाया गया, जिसका आधार मूल्य रु. 2,17,28,160/- (रुपये दो करोड़ सत्रह लाख अट्ठाइस हजार एक सौ साठ मात्र) आंगणित होता है। राजस्व हित को देखते हुए उक्त एकत्रित मलवा/आर.बी.एम. उपखनिज की नीलामी **उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2024 के अध्याय-3 के बिन्दु सं. 5 (क) के प्राविधानानुसार की जानी है :-**

अत: उपरोक्तानुसार उपखनिज मलवा / आर.बी.एम. की सार्वजनिक खुली नीलामी की कार्यवाही दिनांक 06.06.2026 को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग कार्यालय हल्द्वानी में की जानी है। कृपया उक्त नीलामी में प्रतिभाग किये जाने हेतु खनन कार्यालय, हल्द्वानी में दिनांक 05.06.2026 को सायं 5.00 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर दें। दिनांक 05.06.2026 को सायं 5 बजे के बाद किये गये आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। इस नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख व अन्य जानकारी चाहने हेतु कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हल्द्वानी में सम्पर्क कर सकते हैं। निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा:-

प्रभारी जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद नैनीताल

जुड़वा बच्चे की मौत के कुछ घंटों बाद पिता ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या

उत्तर उजाला ब्यूरो

हरिद्वार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवासी राघवेंद्र जोशी ने गुरुवार को अपने तीन वर्षीय जुड़वा बच्चे की संदिग्ध मौत के कुछ घंटों बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। इस दुखद घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। पुलिस के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे राघवेंद्र की पत्नी बबली जोशी शिवमूर्ति गली स्थित होटल से अपने दोनों जुड़वा बच्चों को लेकर जिला मेला अस्पताल पहुंची। चिकित्सकों ने जांच के बाद एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे बच्चे को उपचार के लिए भर्ती किया गया। दूसरे बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

मृत बच्चे की मौत का कारण प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं हो सका। अस्पताल पहुंची पुलिस ने बबली से पूछताछ की और पति राघवेंद्र से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फोन बंद मिला।

देर शाम कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने आधार कार्ड के आधार पर शव की पहचान राघवेंद्र जोशी के रूप में की, जिसकी पुष्टि उनकी पत्नी बबली ने भी की। राघवेंद्र अपनी पत्नी और जुड़वा बच्चों के साथ सिडकुल के रावली महदूद में किराए पर रहते थे और कपड़ों की फेरी करते थे। दो-तीन महीने पहले वे परिवार के साथ मध्य प्रदेश गए हुए थे। बुधवार रात ही वे वापस हरिद्वार लौटे और मूर्तिवाली गली के होटल में ठहरे थे।

मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने की तैयारी तेज

हरिद्वार। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के तहत मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को बीएचईएल कन्वेंशन हॉल में 25-हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), बूथ लेवल सुपरवाइजर और विभिन्न राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में नए मतदाताओं के पंजीकरण, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने, मतदाता सूची में त्रुटि सुधार और निर्धारित प्रपत्रों की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने प्रतिभागियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पुनरीक्षण कार्य संपन्न करने के निर्देश दिए।

आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत पहुंचे मंत्री गणेश जोशी

उत्तर उजाला ब्यूरो

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को सरखेत पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास एवं सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला प्रशासन एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी बरसात को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में मलवे की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को तत्काल मलवे के चौनेलाइजेशन कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात से पूर्व आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। मंत्री गणेश जोशी ने सरखेत क्षेत्र में आपदा के मलवे के चौनेलाइजेशन एवं सुरक्षात्मक कार्यों के लिए विधायक निधि से 5 से 10 लाख रुपये तक की धनराशि उपलब्ध कराने की बात कही।

उन्होंने अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास एवं सुरक्षा को लेकर गंभीर है और जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।इस दौरान जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान, अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, सिंचाई विभाग के ईई दीक्षांत गुप्ता, तहसीलदार सुरेन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान सागर पंवार, बालम सिंह, पंचम सिंह रावत, विशाल पंवार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में रीप परियोजना के तहत आपदा प्रभावित ग्राम पंचायतों की महिला समूह के उद्यम परिवारों को रुपये 14.25 लाख की लागत के आर्थिक सहायता के चैक वितरित किए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की आजीविका को पुन: सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं आजीविका को बढ़ावा देने के साथ-साथ आपदा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है।

इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड

सी आई एन: L24111UR1983PLC009097

पंजीकृत कार्यालय: ए-1, इंडस्ट्रियल एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर-244713, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड

दूरभाष: +91 5947 269000/269500; फैक्स: +91 5947 275315/269535

ई-मेल: compliance.officer@indiaglycols.com; वेबसाइट: www.indiaglycols.com

सदस्यों के लिए सूचना

विषय: कम्पनी के इक्विटी शेयरो का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण को हस्तांतरण

कम्पनी के शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 सहित वर्तमान में उस पर लागू कोई सांविधिक संशोधन या पुन: अधिनियमन (''नियम'') के अनुसरण में, कम्पनी को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (''आई ई पी एफ प्राधिकरण'') में ऐसे शेयरों को हस्तांतरित करना अनिवार्य है जिनके संबंध में निरंतर 7 (सात) या अधिक वर्षों से लाभांश अवैतनिक या अदावाकृत हैं। इसलिए, सभी इक्विटी शेयर जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2018-19 से निरंतर 7 (सात) वर्षों से लाभांश अवैतनिक या अदावाकृत है, वे नियमों के अनुसार आई ई पी एफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

कथित नियमों के अनुपालन में, कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों को उचित कार्यवाही हेतु व्यक्तिगत रूप से उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर सूचना भेज दी है जिनका लाभांश निरंतर 7 (सात) या अधिक वर्षों से अवैतनिक या अदावाकृत है। शेयरधारकों का नाम, फोलियो नं. और/या डीपी आईडी - क्लाइंट आईडी तथा आई ई पी एफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों की संख्या के साथ ऐसे शेयरधारकों का पूरा विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.indiaglycols.com (वेब-लिंक: https://www.indiaglycols.com/compliances/) पर अपलोड किया गया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि आई ई पी एफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने वाले शेयरों के विवरणों की जांच कर लें।

सदस्यगण जिन्होंने वर्ष 2018-19 और उसके बाद अपने लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे 10 सितंबर, 2026 तक या उससे पूर्व अदावाकृत लाभांश का दावा कर लें। यदि कंपनी को उपरोक्त तिथि तक संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करते हुए ऐसे शेयरों को आई ई पी एफ प्राधिकरण को डिमेटिरियलाइज्ड और हस्तांतरित करने के प्रयोजन हेतु भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के मामले में मूल शेयर प्रमाणपत्रों के स्थान पर नये शेयर प्रमाणपत्र बिना किसी अतिरिक्त सुचना के जारी करेगी और ऐसे शेयरो के हस्तांतरण के बाद मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं, स्वत: ही निरस्त हो जाएंगे और गैर-विनिमेय माने जाएंगे। शेयरधारक इस बात पर भी ध्यान दें कि कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को ही नये शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा। यदि सम्बन्धित शेयरधारक द्वारा डीमेट प्रारूप में शेयर धारण किए गए है तो कम्पनी आई ई पी एफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में ऐसे शेयरों के हस्तांतरण के लिए कॉर्पोरेट प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

कृपया ध्यान दें कि कथित नियमों के अनुपालन में आई ई पी एफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किये गये अदावाकृत लाभांश और शेयरों के संबंध में कंपनी के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। यद्यपि, संबंधित शेयरधारक आई ई पी एफ प्राधिकरण को हस्तांतरित अदावाकृत लाभांश(शों) और आई ई पी एफ प्राधिकरण को हस्तांतरित शेयरों सहित ऐसे शेयरों पर मिलने वाले लाभ, यदि कोई हो, के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन और नियमों के अनुसार निर्धारित दस्तावेज जमा करने के बाद उसे वापिस पाने के लिए आई ई पी एफ प्राधिकरण के पास अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारक वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विवरणों का भी अवलोकन कर सकते हैं। उपरोक्त विषय में आगे किसी भी सूचना/स्पष्टीकरण के लिए शेयरधारक कम्पनी के प्रधान कार्यालय प्लॉट नं. 2-बी, सैक्टर-126, नोएडा-201304, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश (ई-मेल: compliance.officer@indiaglycols.com) में कम्पनी सचिव को या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स एम सी एस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, 179-180, तृतीय तल, डीएसआईडीसी शेड, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020 (ई-मेल: admin@mcsregistrars.com) को लिख सकते हैं।

कृते इण्डिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड
हस्ता./-
अंकुर जैन
कम्पनी सचिव

स्थान : नोएडा
दिनांक : 22.05.2026

मेयर किरण जैसल ने लघु व्यापारियों को वितरित किए लाईसेंस व विक्रय प्रमाण पत्र

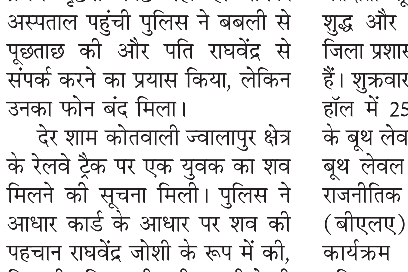

उत्तर उजाला ब्यूरो

हरिद्वार। मेयर किरण जैसल ने जोन ललतारो पुल चण्डी चौराहा मार्ग, भगत सिंह चौक सेक्टर-2 बैरियर और ज्वालापुर पुल जटवाड़ा वेडिंग जोन के लघु व्यापारियों के साथ बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन, भीमगोडा काली मंदिर मार्ग तथा अन्य क्षेत्रों के हाथ ठेली वालों को लाइसेंस एवं विक्रय प्रमाण पत्र वितरित गए। मेयर किरण जैसल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संरक्षण में लघु व्यापारियों को शोषण मुक्त रोजगार दिलाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही नगर निगम के सभी क्षेत्रों में रेड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारियों का सर्वे कराकर नए वेंडिंग जोन की स्थापना की जाएगी।

इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने सभी लघु व्यापारी संगठन के प्रतिनिधियों की ओर से मेयर किरण जैसल का स्वागत कर आभार जताते हुए कहा कि कुंभ मेला 2027 के आयोजन में नगर निगम में पंजीकृत सभी रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को पार्किंगो के नजदीक कारोबार करने की अनुमति दी जाए तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि स्थानीय निकाय अर्बन मिशन परियोजना के तहत सार्वजनिक स्थलों के नजदीक बाजार वेंडिंग जोन के रूप में छोटे-छोटे बाजार स्थापित किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि गंगा हजारों महिलाएं घाटों पर बिंदी, चूड़ी, माला, फूल प्रसाद आदि बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। सभी की जीविका संचालित रहे। मेला प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए तथा उचित प्रबंध करने चाहिए। इस दौरान नगर निगम के वरिष्ठ लिपिक शिवसिंह चौहान, सिटी मिशन मैनेजर अंकित सिंह रमोला, कर्मचारी तनिश अहमद के साथ फेरी समिति के सदस्य कमल सिंह, तस्लीम अहमद, सुमन गुप्ता, आशा कश्यप, राजकुमार सहित नीतिश अग्रवाल, कपिल कुमार, अनुज त्रिवेदी, लालचंद गुप्ता, विजय गुप्ता, भोला यादव, ओमप्रकाश, सुरेश कांति, मनीष शर्मा, ओमप्रकाश भाटिया, देवेश गुप्ता, सुनील कुमार, विकास सक्सेना, प्रद्युम्न सिंह आदि लघु व्यापारी नेता तथा बड़ी संख्या में लघु व्यापारी मौजूद रहे।

शराब के लिए पैसे न देने पर पत्नी से मारपीट

हरिद्वार। रानीपुर क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति पर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और सोशल मीडिया पर बदनाम करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि पति शराब के नशे में आए दिन झगड़ा करता है और पैसे नहीं देने पर उसके साथ मारपीट करता है। शिवालिक नगर निवासी आरती देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पति भानु प्रताप लंबे समय से उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। परिवार का खर्च और बच्चों की जिम्मेदारी वह मजदूरी कर खुद उठा रही है, जबकि पति कोई काम नहीं करता और शराब पीने के लिए उससे पैसे मांगता है। महिला का आरोप है कि पैसे देने से इनकार करने पर पति मारपीट करता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उसके चरित्र को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखकर बदनाम करने की कोशिश भी करता है। शिकायत के अनुसार, 20 मई की रात करीब 11:15 बजे आरोपी ने फेसबुक पर महिला और उसके कार्यस्थल को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट डाली।

भीषण गर्मी का असर, लक्सर में दोपहर के समय सन्नाटा

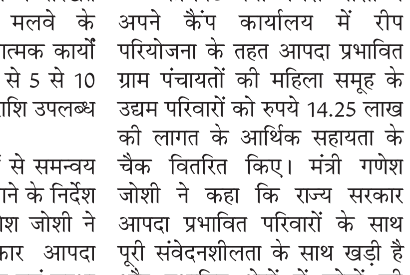

हरिद्वार/लक्सर। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तेज धूप और उमस के कारण दोपहर के समय लक्सर और सुल्तानपुर के बाजारों व मुख्य मार्गों पर लोगों की आवाजाही में भारी कमी देखने को मिल रही है।

हालात यह हैं कि कई जगहों पर दोपहर में सन्नाटा पसरा नजर आता है। स्थानीय व्यापारियों बिजेंद्र सिंह और आशीष कुमार का कहना है कि भीषण गर्मी का असर सीधे तौर पर कारोबार पर पड़ रहा है। सुबह के समय कुछ ग्राहक बाजार पहुंचते हैं, लेकिन दोपहर होते-होते लोग घरों में ही रहना बेहतर समझते हैं, जिससे दुकानों पर ग्राहकों की संख्या घट जाती है। फल व ठंडे पेय पदार्थ विक्रेता भोला, मेहरबान और राजन कर्णवाल के अनुसार, लोग गर्मी से बचने के लिए शाम के समय ही बाजार का रुख कर रहे हैं। यही कारण है कि दिनभर शांत रहने वाले बाजारों में देर शाम कुछ रौनक लौटती है। इधर, स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चिकित्सकों का कहना है कि तेज गर्मी और लू के चलते डिहाइड्रेशन और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। लोगों से पर्याप्त पानी पीने और धूप में निकलते समय जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की गई है।